भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1391

जिसका उत्तर गुरुवार, 28 जुलाई, 2022 को दिया जाना है

न्यायालयीन निर्णयों को देखने के लिए ऐप

1391 डा. अशोक बाजपेयी :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालयों, उच्च न्यायालयों, न्यायाधिकरणों आदि के निर्णयों तक पहुँच के लिए कोई एकल ऑनलाइन/ऑफ़लाइन ऐप उपलब्ध है ;

(ख) क्या निजी कंपनियां न्यायालयों के निर्णयों को सुलभ कराने हेतु ऑनलाइन ऑफलाइन ऐप्स के लिए भारी शुल्क वसूल करती हैं ;

(ग) क्या सरकार के पास विधिज्ञ सदस्यों, वादियों और न्यायाधीशों को न्यायालयों के निर्णयों को सुलभ कराने के लिए उन्हें कोई ऑनलाइन/ऑफलाइन ऐप उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है, ताकि उन्हें कठिनाइयों से राहत मिल सके और निर्णयों के बारे में अधिक जागरूकता फैलाया जा सके ; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री

(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (घ) : वर्तमान में, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों, अधिकरणों आदि के निर्णयों तक पहुँच के लिए कोई एकल ऑनलाइन/ऑफलाइन ऐप उपलब्ध नहीं है । तथापि, जिला न्यायालय और उच्च न्यायालयों के लिए विकसित मोबाइल एप अर्थात्, **ई-न्यायालय सेवाएं** मामला प्रास्थिति के भाग के रुप में निर्णयों को देखने की सुविधा है । उच्च न्यायालयों से निर्णयों तक पहुँच प्रदान करने के लिए एक समर्पित पोर्टल https://judgement.ecourt.gov.in/ भी बनाया गया है । यह सेवा पूर्ण रुप से नि:शुल्क है । निर्णय संबंधित उच्च न्यायालयों की वेबसाइटों पर भी उपलब्ध है । ऑनलाइन/ ऑफलाइन ऐप्स के लिए शुल्क लेने वाली निजी कंपनियों की जानकारी केंद्रीय रुप से नहीं रखी जाती है ।

****